

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिला धकारी, पोखरी, चमोली द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपजिला धकारी, पोखरी, चमोली के माह 05/2012 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललत थपलयाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15.06.2017 से 17.06.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मक:** इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: तहसील, पोखरी
- (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(धनराश लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	-	-	77.96	71.18	03.21	03.11	-	-
2013-14	-	-	87.95	77.44	05.45	04.26	-	-
2014-15	-	-	91.66	89.52	05.90	03.66	-	-
2015-16	-	-	142.10	132.97	12.86	11.93	-	-
2016-17	-	-	152.80	111.92	15.95	11.74	-	-
2017-18	-	-	32.70	16.34	02.10	0	-	-

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति: निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अ धक्य (+)	बचत (-)
2012-13	शून्य					
2013-14						
2014-15						
2015-16						
2016-17						
2017-18						

- (iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त गढ़वाल मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिला धकारी
अपर जिला धकारी
उपजिला धकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

- (iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में वर्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपजिला धकारी, पोखरी, चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2014, 03/2015, 03/2016 एवं 03/2017 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित कया गया।
- (v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-01 वसूली प्रमाण पत्र की धनराशी 03.08 लाख तथा संग्रह व्यय की धनराश 0.49 लाख की वसूली का न कया जाना।

कार्यालय उपजिला धकारी, पोखरी, चमोली के व भन्न वभागों द्वारा जारी कये गये आर0सी0 से संबं धत आर0सी0 पंजिका तथा संबं धत पत्रावली की जांच में पाया गया क वर्ष 2012-13 से 2016-17 आर0सी0 की वसू लयां धनरा श 03.08 लाख तथा संग्रह व्यय की धनरा श 0.49 लाख अवशेष थी, जिनका ववरण निम्न है-

(धनरा श में)

वत्तीय वर्ष	आर.सी. की वसूली हेतु अवशेष धनरा श	आर.सी. की वसूल की गयी धनरा श पर संग्रह व्यय की अवशेष धनरा श
2012-13 तक	47920	6842
2013-14 तक	111390	3631
2014-15 तक	188181	1761
2015-16 तक	232666	51408
2016-17 तक	308009	49448

संप्रेक्षा द्वारा इंगत कये जाने पर वभाग ने बताया क वसूली एक अनवरत प्र कया है, वसूली पूर्ण कर लेखापरीक्षा को सू चत कया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्यो क वत्तीय वर्ष के अन्दर की आर0सी0 एवं संग्रह प्रभार की धनरा श वसूल कर ली जानी चाहिए।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का ववरण
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु उपजिला धकारी, पोखरी, चमोली तथा उनके अधकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:- शून्य
2. सतत् अनियमतताएं: शून्य
3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लखत अधकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया:

क्र.सं.	अधकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवध	
			कब से	कब तक
1.	श्री राहुल कुमार गोयल	उपजिला धकारी	12.12.2011	14.06.2012
2.	श्री देवेन्द्र सिंह नेगी	उपजिला धकारी	15.06.2012	30.12.2013
3.	श्री राहुल कुमार गोयल	उपजिला धकारी	31.12.2013	02.02.2014
4.	श्रीमती कुशम चौहान	उपजिला धकारी	03.02.2014	03.01.2015
5.	श्री कशन सिंह नेगी	उपजिला धकारी	04.01.2015	29.01.2015
6.	श्री ववेक प्रकाश	उपजिला धकारी	30.01.2015	05.04.2015
7.	श्री योगेन्द्र सिंह	उपजिला धकारी	06.04.2015	27.07.2015
8.	श्री रामजी शरन शर्मा	उपजिला धकारी	23.07.2015	23.10.2015
9.	श्री के.एन. गोस्वामी	उपजिला धकारी	24.10.2015	25.12.2016
10.	श्री अनिल कुमार-1	उपजिला धकारी	26.12.2016	07.04.2017
11.	श्री के.एन. गोस्वामी	उपजिला धकारी	08.04.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनियमतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उपजिला धकारी, पोखरी, चमोली को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधकारी
सामान्य क्षेत्र